फैक्स / ई-मेल

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्या डीजी- 40 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ सितम्बर 20 2019

प्रिय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 26758 / 2019 अशोक कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 12.09.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया है–

"Director General of Police, U.P. is directed to collect information and submit an affidavit to show as to how much time is being taken in sending challan issued to a particular person to Court in various Districts in the State. Director General of Police, State of U.P.shall also examine the matter and may issue necessary instruction across the State of U.P. to concerned authorities that Challans must be sent to Courts within three days."

2– उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या– डीजी 35 / 2011 दिनांकित 03–11–2011 द्वारा जनसमस्याओं का विधि सम्मत एवं त्वरित निस्तारण करने हेतु नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) एवं विभिन्न सेवाओं की समयावधि निर्धारित कर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) के जनता की सेवाओं हेतु निर्धारित समयावधि के बिन्दु संख्या 14 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि यातायात अपराधों से सम्बन्धित चालान 24 घण्टे में परीक्षण अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाय तथा 03 कार्य दिवस में मा0 न्यायालय में दाखिल किया जाय।

3– अत्यन्त खेदजनक है कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी अत्यधिक संख्या में वाहनों के चालान मा0 न्यायालय को भेजे जाने हेतु शेष हैं।

4– अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वाहनों के चालान 03 दिवस में मा0 न्यायालय में भेजा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक इसका नियमित अनुश्रवण करें तथा अनावश्यक विलम्ब एवं शिथिलता परिलक्षित होने पर दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner